C M Y K

www.vidarbhakibaat.in
Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 163 नागपुर, बुधवार, 10 मई 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को बताया अवमानना का दोषी, 10 जुलाई को होगी सजा पर सुनवाई

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी विजय माल्या को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ समन जारी किया है। माल्या को 10 जुलाई को मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होना है। कोर्ट की ओर से यह फैसला बैंकों के संघ की याचिका पर दिया गया। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की पीठ ने कहा कि विजय माल्या को दो मामलों में कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया गया है। माल्या मौजूदा वक्त में लंदन में रह रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गयी कि उनकी ओर से विजय माल्या को देश वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुनवाई के दौरान बैंकों की ओर से मांग की गयी कि 40 मिलियन यूएस डॉलर जो डिएगो डील से मिले थे उनको सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराया जाए। मामले में अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि माल्या ने 2500 करोड के कैश का लेन देन भी छिपाया है, जो कोर्ट के आदेश की अवमानना है। विजय माल्या पर 9200 करोड़ रुपये का बकाया है, साथ ही उन पर बार-बार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन का भी आरोप है। कोर्ट की पिछली सुनवाई के दौरान विजय माल्या की ओर से कहा गया था कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वे 9200 करोड़ रुपये बैंक के कर्ज़ को अदा कर पाएं क्योंकि उनकी सभी सम्पतियों को पहले ही जब्त कर लिया गया है।

अन्ना बोले-केजरीवाल पर आरोप साबित हुआ तो इस्तीफे के लिए जंतर-मंतर पर दूंगा धरना

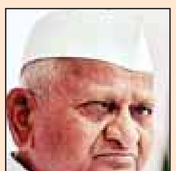

मुंबई

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप अगर साबित हुये तो वह उनके इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठेंगे। हजारे ने हालांकि यह भी कहा कि दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ घूस के आरोप उन्हें मंत्री पद से हटाये जाने के बाद लगाये हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ने वाले अन्ना ने कहा, पूर्व मंत्री ने केजरीवाल के खिलाफ जो कुछ भी कहा वो सिर्फ मंत्री पद से हटाये जाने के बाद कहा, जब कथित तौर पर रुपयों का लेनदेन हुआ और वह मंत्री थे तो उन्होंने अधिकारियों को सचेत क्यों नहीं किया ? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अपने गांव रालेगण सिद्धि में अपने घर पर हजारे ने कहा, मुझे लगता है कि इस मामले में पूरी जांच होनी चाहिये। अगर केजरीवाल दोषी पाये गये तो मैं खुद जंतर-मंतर पर धरने पर बैठूंगा और उनके इस्तीफे की मांग करूंगा। इससे पहले अन्ना ने कहा था कि उन्हें केजरीवाल पर लगे रुपये लेने के आरोपों से दुख पहुंचा है।

बारातियों से भरी कार पर चढ़ा कंटेनर, दूल्हा समेत 9 लोगों की मौत

सीहोर

मध्यप्रदेश के खरगौन जिले में मंगलवार सुबह हुए एक सड़क हादसे में दूल्हा समेत 9 लोगों की मौत हो गई। बरात सीहोर जिले के इछावर से मनावर जा रही थी, तभी उनकी कार को कंटेनर ने टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक, सीहोर जिले के इछावर की जाट फैमिली की बरात मंगलवार सुबह धार जिले के मनावर तहसील के सिरसी गांव जा रही थी। बरातियों से भरी कार को धार जिले के धामनोद में गणेश घाट पर सुबह एक तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में दूल्हा समेत कार में बैठे 9 लोगों की मौत हो गई।

अवसर *मंगलवार को नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु व केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण व नई रेलगाड़ियों के शुभारंभ के पूर्व दीप प्रज्वलन करते हुए। इस अवसर पर उपस्थित महापौर नंदा जिचकार, सांसद अजय संचेती, केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले एवं अन्य मान्यवर।*

पीएम मोदी ने की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, अक्षय ऊर्जा और हाउसिंग समेत प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा की।

अप्रैल के अंतिम सप्ताह में कनेक्टिविटी से संबंधित बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की समीक्षा आने के तुरंत बाद यह समीक्षा बैठक हुई। इसमें पीएमओ के शीर्ष अधिकारियों, नीति आयोग और केंद्र सरकार के सभी बुनियादी ढांचा मंत्रालय शामिल हुए। नीति आयोग के सीईओ द्वारा प्रस्तुति के दौरान, अक्षय ऊर्जा, सस्ती ग्रामीण आवास, एलईडी

बल्ब आदि के निर्माण समेत कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति का उल्लेख हुआ। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 1.98 करोड़ परिवारों को फायदा मिला। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सौर उपकरणों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि रोजगार की संख्या में इजाफा हो और अक्षय ऊर्जा से अधिकतम लाभ मिले।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी प्रगति हुई है। वित्त वर्ष 17 में 32 लाख मकानों को पूरा किया गया। प्रधानमंत्री ने इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जा रहे प्रशिक्षण के बारे में भी पूछा। उन्होंने निर्देश दिया की आगामी समीक्षा का फोकस जिला स्तर पर मौजूद मुश्किलों पर होगा ताकि जिलों का उत्थान किया जा सके।

नयना पुजारी गैंगरेप व मर्डर केस में तीनों दोषियों को मिली फांसी की सजा

पुणे

पुणे की सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले के तीन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। करीब आठ साल पहले दोषियों ने कार में वारदात करने के बाद नयना का शव जंगल में फेंक दिया था।

पुणे की शिवाजीनगर की अदालत के विशेष न्यायाधीश एलएल येनकर ने मंगलवार को मामले में दोषी करार दिए गए योगेश राउत, महेश ठाकुर एवं विश्वास कदम को दुष्कर्म (376), हत्या (302), आपराधिक साजिश (120बी) एवं 361(अपहरण) सहित भादंवि की कई अन्य धाराओं के तहत मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसी मामले के चौथे आरोपी अशोक चौधरी वादा माफ गवाह बन गया था। इस कारण उसे आरोपमुक्त कर दिया गया है।

सभी आरोपी हत्या के मकसद से अपहरण, लूटपाट के दौरान चोट पहुंचाने और सबूत नष्ट करने के आरोप से मुक्त हो गए। अभियोजन पक्ष इन आरोपों को साबित करने में असफल रहा।

28 वर्षीय नयना पुणे की सेनीक्रॉन प्रा.लि. में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। सात अक्टूबर 2009 को वह रात आठ बजे घर जाने के लिए एक बसस्टॉप पर खड़ी थी। तभी आरोपी एक इंडिका कार से उसके पास आए और हड़पसर तक छोड़ने की बात कहकर उसे कार में बिठा लिया।

फिर पुणे एवं उसके समीप के सुनसान इलाकों में कार को घुमाते रहे। इस दौरान सभी ने नयना के साथ दुष्कर्म किया। उसके एटीएम कार्ड से पैसे निकाले और उसकी हत्या कर शव को जेरवाड़ी के जंगल में फेंक दिया था। दो दिनों बाद जेरवाड़ी के जंगल से नयना का शव बरामद हुआ था।

इस मामले का मुख्य आरोपी योगेश राउत मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक बार अस्पताल ले जाते समय पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था। 20 माह बाद उसे शिरडी से पुन: गिरफ्तार किया गया था। नयना पुजारी के पति अभिजीत पुजारी एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की थी।

भारत और नीदरलैंड के विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक

आपसी सहयोग के मुद्दे पर हुयी चर्चा

नई दिल्ली

भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने डच समकक्ष बर्ट कोंडर्स से मुलाकात की। नीदरलैंड विदेश मंत्री बर्ट कोंडर्स के साथ भारत दौरे पर आये उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुयी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बाग्ले ने ट्वीट कर जानकारी दी, एक मूल्यवान साथी की मेजबान देश नीदरलैंड के विदेश मंत्री बर्ट कोंडर्स और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच आपसी सहयोग के मद्दे पर चर्चा हुयी।

इस दौरान व्यापार, निवेश, जल और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विचार विमर्श की संभावना है। उम्मीद है दोनों ओर से सहयोग को विस्तार देने के क्षेत्रों पर चर्चा की गयी होगी। नीदरलैंड के विदेश मंत्री बर्ट कोंडर्स के चार दिवसीय भारत दौरे का आज तीसरा दिन है। नीदरलैंड अभी यूरोपीय संघ में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। विदेश मंत्री बर्ट कोंडर्स भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। भारत यात्रा से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा डच विदेश मंत्री का ट्वीटर संदेश के जरिए स्वागत किया गया।

जवाब में बर्ट ने ट्वीट करके कहा कि मैं भारत में आकर उत्साहित हूं। हम नवाचार और प्रोद्योगिकी, जल और अपशिष्ट प्रबंधन पर सहयोग करना चाहते हैं। भारत और नीदरलैंड के बीच 70 वर्ष पुराने राजनयिक संबंध हैं।

जस्टिस कर्णन को छह माह की सज़ा, तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने को कहा

नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एक अप्रत्यारशित आदेश में कलकत्ता उच्च न्यायालय के विवादास्पद न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराते हुये उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनायी। न्यायालय ने न्यायमूर्ति कर्णन को तत्काल हिरासत में लेने का आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा, हमारा सर्वसम्मति से यह मत है कि न्यायमूर्ति सीएस कर्णन ने न्यायालय की अवमानना, न्यायपालिका और इसकी प्रक्रिया की अवमानना की है। यह पहला अवसर है जब उच्चतम न्यायालय ने अवमानना के आरोप में उच्च न्यायालय के किसी पीठासीन न्यायाधीश को जेल भेजा है।

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर,

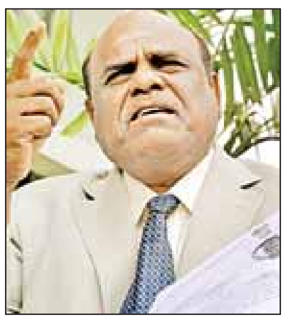

न्यायमूर्ति पीसी घोष और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ शामिल हैं। संविधान पीठ ने कहा कि वह इस बात से संतुष्ट है कि न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा, इस सजा पर अमल किया जाये और उन्हें तत्काल हिरासत में लिया जाये। पीठ ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा अब पारित किसी भी आदेश का विवरण प्रसारित या प्रकाशित करने से रोक दिया है। पीठ ने न्यायाधीश कर्णन द्वारा आगे कोई आदेश पारित किए जाने की स्थिति में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया को आदेश की सामग्री को प्रकाशित करने से रोक दिया है।

इससे पहले, मामले की सुनवाई शुरू होते ही पश्चिम बंगाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि शीर्ष अदालत के पहले के निर्देश के अनुपालन के अनुसार पुलिस महानिदेशक और पुलिस कार्मिकों के दल के साथ एक मेडिकल बोर्ड न्यायमूर्ति कर्णन के निवास पर गया था परंतु उन्होंने एक पत्र दिया कि वह पूरी तरह से स्वस्थ और ठीक हैं। द्विवेदी ने वह पत्र भी पढ कर सुनाया। अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल मनिन्दर सिंह ने पीठ से कहा कि न्यायमूर्ति कर्णन जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं और उन्हें न्यायालय की अवमानना के लिये दंडित करने की आवश्यकता है क्योंकि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ अनेक आदेश पारित किये हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के के वेणुगोपाल ने कहा कि यदि न्यायमूर्ति कर्णन को जेल भेजा गया तो यह एक धब्बा होगा कि अवमानना के लिये एक पीठासीन न्यायाधीश को जेल भेजा गया। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

भारत अब कमजोर नहीं, ताकतवर भारत बन गया है - राजनाथ सिंह

जयपुर

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजस्थान के पाली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सेना के जवानों के शौर्य पर देशवासियों को भरोसा होना चाहिए। महाराणा प्रताप की जंयती पर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा, राजस्थान के इस सपूत के बारे में इतिहासकारों से भूल हुई है। यह ऐसी भूल है, जिसे सुधारा जाना चाहिए। ऐसा क्या था कि इतिहासकारों को अकबर तो महान दिखा, लेकिन महाराणा प्रताप को उस कैटेगरी में नहीं रखा। इतिहासकारों ने इस मामले में सही आकलन नहीं किया।

उन्होंने कहा, आपके मान-सम्मान, स्वाभिमान पर ये सरकार कभी चोट नहीं आने देगी। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर लगातार प्रयासरत है।

हाजी अली दरगाह के चारों ओर सौंदर्यीकरण करे बीएमसी - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की हाजी अली दरगाह के आसापास के 737 वर्ग मीटर में फैले अतिक्रमण के प्रमुख हिस्सों को हाटने के कार्य को पूरा करने को लेकर दरगाह ट्रस्ट की तारीफ की, साथ ही मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को दरगाह के चारों ओर सौंदर्यीकरण कार्य को 30 जून तक पूरा करने की निर्देश दिया है। यह दूसरा मौका है, जब मुंबई की हाजी अली दरगाह चर्चा में है। इससे पहले महिलाओं को प्रवेश देने के मामले में भी हाजी अली दरगाह चर्चा में थी। उस वक्त कोर्ट ने ट्रस्ट की दलीलों को खारिज करते हुए दरगाह में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी।

मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर दरगाह के पास 737 वर्ग मीटर में फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए बनी स्पेशल टास्क फोर्स के पर रोक लगा दी थी और दरगाह ट्रस्ट को खुद ही अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।

हालांकि कोर्ट ने इस दौरान 171 वर्ग मीटर में बनी मस्जिद में तोड़फोड़ नहीं करने का आदेश दिया था। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

जल उठा सहारनपुर, पुलिस पर पथराव, फायरिंग, चौकी व वाहन फूंके

सहारनपुर

उत्तरप्रदेश को उत्तराखंड तथा हरियाणा को जोड़ने वाले सहारनपुर में माहौल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां शब्बीरपुर हिंसा को लेकर धरना दे रहे भार्मी आर्मी के कार्यकर्ताओं को उठाने के विरोध में शहर में बवाल हो गया। इस बवाल के बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ गाली-गलौच के साथ पथराव, फायरिंग व आगजनी की। इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस को भी दौड़ लिया। कई स्थानों पर पुलिस व दलित आमने-सामने रहे।

हिंसा को लेकर धरना दे रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को उठाने के विरोध में शहर व रामपुर मनिहारन क्षेत्र में जमकर बवाल हुआ। पुलिस के साथ गाली-गलौच पथराव, फायरिंग, तोडफ़ोड़ व आगजनी की। रामपुर मनिहारन सीओ की जीप तोड़ दी। रामनगर पुलिस चौकी में आग लगा दी। एक-एक बस व कार समेत डेढ़ दर्जन दो पहिया वाहनों में आग लगा दी।

एडीएम, एसडीएम, नगर मजिस्ट्रेट व

पुलिस अधिकारियों को कालोनी में घुसकर जान बचानी पड़ी। इस घटना में एक सिपाही समेत एक दर्जन लोग घायल हो गए। कई स्थानों पर पुलिस व दलित आमने-सामने है। एडीएम से भी मारपीट की गई।

गांधी पार्क में भीम आर्मी सेना के बैनर तले दलित एकत्र हुए। शब्बीरपुर के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया, इसी बीच पुलिस पहुंची और बिना अनुमति के धरना देने पर वहां से आन्दोलनकारियों को उठाने का प्रयास किया। इसी बीच आन्दोलनकारियों व पुलिस के बीच गाली-गलौच व पथराव की घटनाएं हुई।

इसके बाद यह आन्दोलनकारी आगे-आगे और पुलिस उनके पीछे-पीछे दौड़ती रही। कभी घंटाघर तो कभी गोविन्द्र नगर तो कही चिलकाना रोड पर इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया। चिलकाना रोड पर एक कूड़े के ढ़ेर में आग लगाने के बाद आन्दोलनकारी हाथों में तंमचे लेकर पुलिस के सामने आ गए और फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान अपनी जान बचाने के लिए पुलिसकर्मी वहां से भाग खड़े हुए। दलितों ने चिलकाना रोड पर जाम लगा दिया है।

पुलिस जाम खुलवा ही रही थी कि नजीरपुर रोड पर दलितों ने एक बस में आग लगा दी। पुलिस ने यहां पहुंचकर मामला शांत कराया तो दूसरी ओर मल्हीपुर रोड पर बवाल शुरू हो गया। यहां पहले दलितों ने दो बाइक में आग लगा दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस पर पथराव कर दिया। यहां दलितों ने जाम भी लगा दिया। अफसर जाम खुलवा ही रहे थे कि अचानक एक बार फिर दलितों ने पथराव व फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस चौकी राम नगर में आग लगा दी। उसी के आसपास 8 मीडिया कर्मियों, स्थानीय अभिसूचना इकाई निरीक्षक, पुलिस दारोगा समेत एक दर्जन बाइक में आग लगा दी। ■ शेष पृष्ठ 2 पर